न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 52/2022

अमरसिंह पुत्र श्री गणपत राम खेदड, मु0पो0 जाखल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 07.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 52/2022 पर दिनांक 08.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/357–58 दिनांक 09.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/1235 दिनांक 24.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत अमरसिंह पुत्र श्री गणपतराम खेदड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/1188 दिनांक 03.02.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री अमरसिंह पुत्र श्री गणपतराम खेदड निवासी जाखल को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2022/1235 दिनांक 24.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत अमरसिंह पुत्र श्री गणपतराम खेदड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/1188 दिनांक 03.02.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री अमरसिंह पुत्र श्री गणपतराम खेदड निवासी जाखल को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:07 IST
Reason: SelfAttested